प्रारूप - 16

परियोजना का नाम :– **जनपद बागेश्वर में प्रधानमत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत तोली मोटर मार्ग के कि0मी0 2 से बगर मोटर मार्ग, (लम्बाई 9.934 कि0मी0) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।**

परियोजना की लम्बाई–चौड़ाई का विवरण।

क्र0 सं.0	भूमि की श्रेणी	लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	कुल क्षेत्रफल (वर्ग मी.में)	कुल क्षेत्रफल (है0 में)
1.	आरक्षित वन भूमि	–	–	–	–
2	वन पंचायत भूमि	1152	7	1152	0.8064
3	मलवा निस्तारण हेतु वन पंचायत भूमि				0.1580
4	सिविल सोयम वन भूमि	5332	7	5332	3.7324
5	मलवा निस्तारण सिविल सोयम भूमि				0.2180
अ.	**मोटर मार्ग हेतु अर्जित कुल वन भूमि**				**4.9148**
1.	नाप भूमि	3450	7	3450	2.4150
2.	मलवा निस्तारण नाप भूमि	–	–	–	0.663
ब.	**कुल नाप भूमि**				**3.0780**
	मोटर मार्ग हेतु अर्जित कुल भूमि (अ. + ब.)				**7.9928**

कनिष्ठ अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग,
पी0आई0यू0–II पी0एम0जी0एस0वाई0,
कपकोट, बागेश्वर।

सहायक अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग,
पी0आई0यू0–II पी0एम0जी0एस0वाई0,
कपकोट, बागेश्वर।

अधिशासी अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग,
पी0आई0यू0–II पी0एम0जी0एस0वाई0,
कपकोट, बागेश्वर।

परियोजना का नाम :— **जनपद बागेश्वर में प्रधानमत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत तोली मोटर मार्ग के कि0मी0 2 से बगर मोटर मार्ग, (लम्बाई 9.934 कि0मी0) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।**

बारचार्ट

प्रस्तावित परियोजना का बार चार्ट के मानचित्र जिसमें आरक्षित वन भूमि को हरे रंग से, सिविल वन भूमि को पीले रंग से, वन पंचायत भूमि को नीले रंग से दर्शाया गया है।

कनिष्ट अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग,
पी0आई0यू0–II पी0एम0जी0एस0वाई0,
कपकोट, बागेश्वर।

सहायक अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग,
पी0आई0यू0–II पी0एम0जी0एस0वाई0,
कपकोट, बागेश्वर।

अधिशासी अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग,
पी0आई0यू0–II पी0एम0जी0एस0वाई0,
कपकोट, बागेश्वर।

वन क्षेत्राधिकारी
लोहारखेत
बागेश्वर वन प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर

BAR CHART

NAME OF ROAD :- FROM KM 2 OF TOLI MOTOR ROAD TO BAGAR MOTER ROAD **LENGTH :- 9.934 KM**

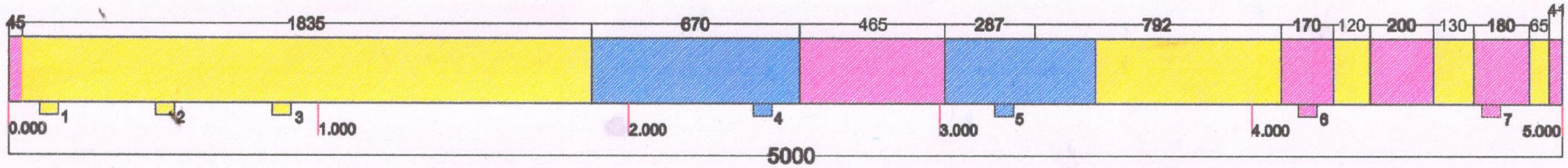

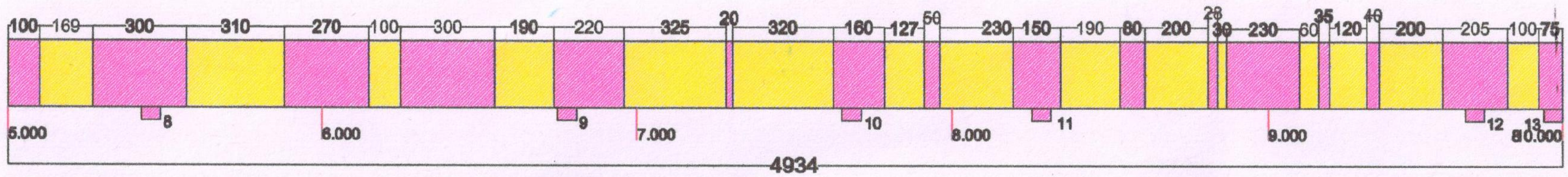

S.N	Type of land	Length	Width	Hect.	Sym.
01	Private Land	3450	7.00	2.4150	
02	Civil Soyam	5365	7.00	3.7324	
03	VanPanchayat	1152	7.00	0.8064	
04	Dumping Area of Private Land			0.6630	
05	Dumping Area of Civil Soyam			0.2180	
06	Area of Dumping VanPanchayat			0.1580	
	Total :-			7.9928	
	Scale	H -		1mm.= 20 mts.	

J.E A.E E.E

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर

प्रारूप - 18

परियोजना का नाम :— **जनपद बागेश्वर में प्रधानमत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत तोली मोटर मार्ग के कि0मी0 2 से बगर मोटर मार्ग, (लम्बाई 9.934 कि0मी0) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।**

कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित भूमि पर कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग,
पी0आई0यू0–II पी0एम0जी0एस0वाई0,
कपकोट, बागेश्वर।

सहायक अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग,
पी0आई0यू0–II पी0एम0जी0एस0वाई0,
कपकोट, बागेश्वर।

अधिशासी अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग,
पी0आई0यू0–II पी0एम0जी0एस0वाई0,
कपकोट, बागेश्वर।

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर

प्रारुप–19

परियोजना का नाम :– जनपद बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत तोली मोटर मार्ग के किमी0 2 से बघर मोटर मार्ग, (लम्बाई 9.934 किमी0) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु दिनांक 16.02.2013 को किये गये संयुक्त निरीक्षण के अनुसार आवेदित वन भूमि तथा नाप भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना की गई व निरीक्षण के दौरान प्रभावित होने वाले वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई

प्रस्तावित वन भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों का भूमिवार/प्रजातिवार/व्यास वार विवरण।

क्र सं	भूमि की श्रेणी	वनब्लाक/ कम्पार्टमेन्ट / खसरा संख्या	प्रजाति	वैज्ञानिक नाम	व्यास वर्ग									
					10–20	20–30	30–40	40–50	50–60	60–70	70–80	80–90	90 से अधिक	योग
1.	आरक्षित वन भूमि				–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.	सिविल सोयम		चीड	Pinus Roxburghii Sarg	–	–	17	4	3	–	–	–	–	24
			उतीस	Alnusheplansis D.Don	–	8	1	1	–	–	–	–	–	10
			दल	Toona Serrata(Royale) M.Roem	–	2	–	–	–	–	–	–	–	2
			बॉज	Quercus leucotrichophora camus Exbahadur	–	14	9	5	–	–	–	–	–	28
			तुन	Toona ciliata roem	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1
3.	वन पंचायत		चीड	Pinus Roxburghii Sarg	–	8	2	2	–	–	–	–	–	12
			सुरई	Cupressus torulosa d. don	17	1	–	–	–	–	–	–	–	18
			उतीस	Alnusheplansis D.Don	10	21	2	4	–	–	–	–	–	37
4.	संरक्षित वन	शून्य												
	योग :– वन भूमि	शून्य												
5.	नाप भूमि		पदम	Prunus cerasoides d. tun	–	2	–	–	–	–	–	–	–	2
			दल	Toona Serrata(Royale) M.Roem	2	6	–	–	–	–	–	–	–	8
			उतीस	Alnusheplansis D.Don	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1
			चीड़	Pinus Roxburghii Sarg	–	11	–	–	–	–	–	–	–	11
			कौल	Persea odoratissima nees	2	–	4	1	–	–	–	–	–	7
			पदम	Prunus cerasoides d. tun	2	–	–	1	–	–	–	–	–	3
			अखरोट	Juglans Regia Linn	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1
			बॉज	Quercus leucotrichophora camus Exbahadur	5	16	2	1	–	–	–	–	–	24
	कुल योग :–				38	90	37	20	4	–	–	–	–	189

उपरोक्तानुसार गणना किये गये वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है।

ह0/–
कनिष्ठ अभियन्ता

ह0/–
सहायक अभियन्ता
Assistant Engineer
PMC PIU II
Kapkot (Bageshwar)

ह0/–
प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर

प्रा०४ - 20

परियोजना का नाम :– **जनपद बागेश्वर में प्रधानमत्री ग्राम सडक योजना के अर्न्तगत तोली मोटर मार्ग के कि.0मी0 2 से बगर मोटर मार्ग (9.934 कि0मी0) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।**

प्रधान मन्त्री ग्राम सडक योजना अन्तर्गत कपकोट कर्मी मोटर मार्ग से तोली से बघर मोटर मार्ग कि0मी0 10 चौडाई 7 मीटर में प्रभावित होने वाले वृक्षों का आउटटर्न

क.	नाम भूमि	प्रजाति	व्यास श्रेणी	वृक्षों की संख्या	दर	धनराशि	आयतन गुणक	आयतन घमी.
1	दोबाड नाप	पदम	20–30	02	747.00	1494.00	0.310	0.620
		दल	10–20	02	154.00	308.00	———	———
			20–30	06	747.00	4482.00	0.310	1.860
		उतीस	50–60	01	3484.00	3484.00	0.566	0.566
		चीड	20–30	11	471.00	5181.00	0.198	2.178
2	दोबाड ~~सिविल~~ वन पंचायत	चीड	20–30	08	471.00	3768.00	0.198	1.584
		"	30–40	02	1873.00	3746.00	0.779	1.558
			40–50	02	4325.00	8650.00	1.799	3.598
		सुरई	10–20	17	154.00	2618.00	———	———
			20–30	01	747.00	747.00	0.307	0.307
		उतीस	10–20	10	154.00	1540.00	———	———
			20–30	21	747.00	15687.00	0.113	2.373
			30–40	02	1492.00	2984.00	0.227	0.454
			40–50	04	2105.00	8420.00	0.368	1.472
3	बघर सिविल	चीड	30–40	04	1873.00	7492.00	0.779	3.116
			50–60	01	7573.00	7573.00	3.150	3.150
		उतीस	20–30	01	747.00	747.00	0.113	0.113
			40–50	01	2105.00	2105.00	0.368	0.368
		दल	20–30	02	747.00	1494.00	0.310	0.620
		बॉज / फल्यॉठ	20–30	01	747.00	747.00	0.320	0.320
			30–40	05	1492.00	7460.00	0.809	4.045
			40–50	05	2105.00	10525.00	1.519	7.595
		तुन	20–30	01	1909.00	1909.00	0.368	0.368
4	बघर नाप	कौल	10–20	02	154.00	308.00	———	———
			30–40	04	1492.00	5968.00	0.724	2.896
			40–50	01	2105.00	2105.00	1.251	1.251
		पदम	10–20	02	154.00	308.00	———	———
			40–50	01	2105.00	2105.00	1.251	1.251
		अखरोट	40–50	01	2105.00	2105.00	0.368	0.368
		बॉज	10–20	05	154.00	770.00	———	———
			20–30	16	747.00	11952.00	0.320	5.12
			30–40	02	1492.00	2984.00	0.809	1.618
			40–50	01	2105.00	2105.00	1.519	1.519
5	बघर सिविल	बॉज	20–30	13	747.00	9711.00	0.320	4.16
		"	30–40	04	1492.00	5968.00	0.809	3.236
		चीड	30–40	13	1873.00	24349.00	0.779	10.127
			40–50	04	4325.00	17300.00	1.779	7.116
			50–60	02	7573.00	15146.00	3.150	6.30
		उतीस	20–30	07	747.00	5229.00	0.113	0.113
			30–40	01	1492.00	1492.00	0.227	0.227
			योग–	189 वृक्ष		213066.00		

(श्रीकर दत्त पाण्डेय)
वन दरोगा
ग्लेशियर वन क्षेत्र

उपरोक्तानुसार गणना किये गये वृक्षों का पातन किया जाना अनिवार्य है।

वन क्षेत्राधिकारी
ग्लेशियर रेंज
लोहारखेत
बागेश्वर वन प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर

परियोजना का नाम :– **जनपद बागेश्वर में प्रधानमत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत तोली मोटर मार्ग के कि0मी0 2 से बगर मोटर मार्ग, (लम्बाई 9.934 कि0मी0) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।**

परियोजना के निर्माण से भूमि पर प्रभावित होने वाले पेड़ों का सारांश

क्र0 सं0	भूमि का प्रकार	व्यास वर्ग से0 मी0 में (गोलाई)										योग
		0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 से अधिक	
1	आरक्षित वन भूमि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	वन पंचायत	-	27	30	4	6	-	-	-	-	-	67
3	सिविल सोयम	-	-	25	27	10	3	-	-	-	-	65
4	नाप भूमि	-	11	35	6	4	1	-	-	-	-	57
कुल योग		-	38	90	37	20	4					189

उपरोक्तानुसार गणना किये गये वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है।

वन क्षेत्राधिकारी
(मुहर: वन क्षेत्राधिकारी, ... रेंज, ..., बागेश्वर वन प्रभाग)

प्रभागीय वनाधिकारी
(मुहर: प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर)

प्रारुप–21

परियोजना का नाम – जनपद बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत तोली मोटर मार्ग के किमी0 2 से बघर मोटर मार्ग, (लम्बाई 9.934 किमी0) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

परियोजना क्षेत्र में विद्यमान वृक्षों में से वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों का विवरण।

क्र. सं	भूमि की श्रेणी	विद्यमान वृक्षों की संख्या	वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या	विवरण
1.	आरक्षित वन भूमि	–	–	
2.	सिविल सोयम	65	65	
3.	वन पंचायत	67	40	
4.	संरक्षित वन	–	–	
	योग :– वन भूमि	–	–	
5.	नाप भूमि	57	46	
	कुल योग :–	**189**	**151**	

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले कुल 189 वृक्षों में से वास्तविक रूप से केवल 151 वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है।

ह0/–
प्रयोक्ता एजेन्सी

ह0/– प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग, बागेश्वर

AAE

Assistant Engineer
PMGSY, PIU II
Kapkot (Bageshwar)

प्रारूप - 22

परियोजना का नाम :— **जनपद बागेश्वर में प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, तोली मोटर मार्ग के कि0मी0 2 से बगर (10.000 कि0मी0) नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।**

बांज वृक्षो का पातन का प्रमाण प्रत्र

जनपद बागेश्वर में प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, तोली मोटर मार्ग के कि0मी0 2 से बगर (10.000 कि0मी0) के हस्तान्तरण हेतु मेंरे द्वारा दिनाँक ~~16-02-2013~~ 19/5/2014 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बाँज वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई :—

क्र0 सं0	क्षेत्र का नाम	प्रजाति	व्यास वर्ग									योग
			0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	90 से अधिक	
1	बगर सिविल	बॉज/ फल्यॉठ	-	-	1	5	5	-	-	-	-	11
2	बगर नाप	बॉज	-	5	16	2	1	-	-	-	-	24
3	बगर सिविल	बॉज	-	-	13	4	-	-	-	-	-	17
योग—			**-**	**5**	**30**	**11**	**6**	**-**	**-**	**-**	**-**	52

टिप्पणी :— उपरोक्तानुसार गणना किये गये बॉज वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है।

वन क्षेत्राधिकारी
वन क्षेत्राधिकारी
मोहारवन
बागेश्वर व० प्रभाग

वन संरक्षक
वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड
अल्मोड़ा।

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर

उप प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

प्रारुप–23

परियोजना का नामः– जनपद बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत तोली मोटर मार्ग के किमी0 2 से बघर मोटर मार्ग, (लम्बाई 9.934 किमी0) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रस्तावित परियोजना में वृक्ष प्रभावित न होने की दशा में प्रयोक्ता एजेन्सी एवं प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण से आवेदित भूमि पर कोई वृक्ष प्रभावित नही हो रहे हैं।

लागू नही

ह0/– AAE
प्रयोक्ता एजेन्सी

AE
Assistant Engineer
PMGSY, PIU II
Kapkot (Bageshwar)

ह0/–
प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर

परियोजना का नाम :– जनपद बागेश्वर में प्रधानमत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत तोली मोटर मार्ग के कि0मी0 2 से बगर मोटर मार्ग, (लम्बाई 9.934 कि0मी0) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना के निर्माण हेतु प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या न्यूनतम है व भारत सरकार से परियोजना के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।

कनिष्ट अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग,	ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग,	ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग,
पी0आई0यू0–II पी0एम0जी0एस0वाई0,	पी0आई0यू0–II पी0एम0जी0एस0वाई0,	पी0आई0यू0–II पी0एम0जी0एस0वाई0,
कपकोट, बागेश्वर।	कपकोट, बागेश्वर।	कपकोट, बागेश्वर।

प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर

प्रारूप - 25

<u>परियोजना का नाम</u> :– जनपद बागेश्वर में प्रधानमत्री ग्राम सडक योजना के अर्न्तगत तोली मोटर मार्ग के कि.0मी0 2 से बगर मोटर मार्ग (9.934 कि0मी0) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

<u>राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण्य से हवाई दूरी का प्रमाण–पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन क्षेत्र की समीपस्थ राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा से दूरी .... कि0मी0 है।

प्रभागीय वनाधिकारी

प्रारूप-26 47

परियोजना का नाम :– जनपद बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अर्न्तगत तोली मोटर मार्ग के कि.0मी0 2 से बगर मोटर मार्ग (9.934 कि0मी0) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

परियोजना स्थल किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है।

AAE

Assistant Engineer PMGSY, PIU II Kapkot (Bageshwar)

प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर

प्रारुप–27

परियोजना का नामः– जनपद बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत तोली मोटर मार्ग के किमी0 2 से बघर मोटर मार्ग, (लम्बाई 9.934 किमी0) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

(परियोजना के राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य के अन्तर्गत प्रस्तावित होने की दशा में भारतीय वन्य जीव परिषद एवं माननीय उच्चतम न्यायालय की अनुमति)

लागू नही

AAE

AE

Assistant Engineer
PMGSY, PIU II
Kapkot (Bageshwar)

प्रा२५ - 28

45

21

<u>परियोजना का नाम</u> :– जनपद बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अर्न्तगत तोली मोटर मार्ग के कि.0मी0 2 से बगर मोटर मार्ग (9.934 कि0मी0) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

आम सभा का अनापत्ति प्रमाण–पत्र

संलग्न - 2 8

ग्राम सभा का अनापत्ति प्रमाण पत्र

:: प्रमाण–पत्र ::

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमन्त्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित तोली मोटर मार्ग से बघर तक सम्पर्क मोटर मार्ग के निर्माण हेतु इस मार्ग से लाभान्वित होने वाले समस्त ग्रामवासी सहमत हैं। इस मोटर मार्ग के समरेखन में कोई विवाद नहीं है।

(1) [signature]
(2) गोपाल सिंह
(3) राम सिंह
(4) [signature] Baghay
(5) कुशाल सिंह
(6) घनश्याम राम
(7) राजेन्द्र सिंह
(8) मदन सिंह
(9) उमेद सिंह
(10) पदम सिंह
(11) रमेश सिंह
(12) RAJU
(13) होशियार सिंह
(14) लाल सिंह
15. टिकर सिंह
16. मेहरबान सिंह
17. B. S. Baghar
नेव सिंह
गंगा सिंह
कुपाल सिंह
[illegible] राम

24. देव राम
25. भूपाल राम
26. बलवन्त राम
27. खीम सिंह

[signature]
ग्राम पंचायत अधिकारी
ग्रा० पं० — बघर, पट्टी [illegible]
जनपद- बागेश्वर

28 हरक सिंह
29 हरि राम
29 D. S. Bora
30 H S Bagar
31
32 [illegible] सिंह
33 [signature]
34 [illegible]
35
36
37

[signature] Baghay
प्रधान
ग्राम पंचायत बघर
वि०ख० [illegible] (बागेश्वर)

[signature]
सदस्य
क्षेत्र पंचायत [illegible]
[illegible] बागेश्वर

Attested
[signature]

Photo copy Attested
[signature]
Assistant Engineer
PMGSY, PIU II
[illegible] (Bageshwar)

प्रारुप–29

(5.00 हे0 से अधिक के प्रकरणों में लागू)

Cost Benefit Ratio calculation Performa

Name of the project – **Construction of From Km 2 of Toli Road To Baghar Motor Road**

Block:- Kapkot District:- Bageshwar

लागू नही

SL. No.	Particulars	Amount in lakhs	Remark
1	Total cost (Investment incurred)	--	--
(A)	Construction cost of the project	--	--
(B)	N.P.V. Amount to be deposited @ --- lakh /Ha	--	--
(D)	Substitute/Alternative Plantation Cost to be Deposited:-	--	--
(E)	Other cost if any	--	--
	Grand Total	--	--
2	Benefits	Estimated Cost /yearly	Total benefit during the life of the created development
2.1	i. Direct Economic Benefits a. b. c.	--	--
	Total direct benefits	--	--
2.2	ii. Social Benefits a. b. c.	--	--
	Total social benefits	--	--
2.3	iii. Ecological Benefits a. b. c. Total eclological benefits	-- -- --	-- -- --
2.4	Other Benefits(if any)	--	--
	a. b.		
	Total benefits	--	--
	Grand Total Benefits	--	--

ह0/–
प्रयोक्ता एजेन्सी

Assistant Engineer
PMGSY, PIU II
Kapkot (Bageshwar)

ह0/–
प्रभागीय वनाधिकारी

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर

5164 - 30

FORM - 1

Name of Work : Construction of Km. 2 of Toli Motor Road to Baghar Motor Road (Stage - I) under PMGSY.

Annexure-1

FORM – 1
Government of Uttarakhand
Office of the District collector : Bageshwar

No. **Date :**

To Whomsoever it May Concern

In compliance of the ministry of Environment and forests (MoEF) Government of India's Letter no. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights, Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that **4.9148** hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Rural Development Department, Uttarakhand (Name of user agency) for Construction **Km. 2 of Toli Motor Road to Baghar** Motor Road (9.934 Km) under PMGSY in Bageshwar district falls with in jurisdiction of Baghar Gram Panchayat in Kapkot Tehsil.

It is further certified that :

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **4.9148** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and District Level Committee are enclosed as annexure 23 to 23.2 .

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas given their consent to it.

(c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl.- As above.

Signature

(Bhupal Singh Manral,)
(District Collector)

FORM – 23.3 4124-30

…me of Work : Construction of Km. 2 of Toli Motor Road to Baghar Motor Road (Stage - I) under PMGSY.

Annexure-1

FORM – 2

Government of Uttarakhand

Office of the District collector : Bageshwar

No.

Date :

To Whomsoever it May Concern

In compliance of the Ministry of Environment and forests (MoEF) Government of India's Letter no. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights, Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that **4.9148** hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Rural Development Department, Uttarakhand (Name of user agency) for **Construction of Km. 2 of Toli Motor Road to Baghar Motor Road (9.934 Km)** under PMGSY in Bageshwar district falls with in jurisdiction of Baghar Gram Panchayat in Kapkot Tehsil.

It is further certified that :

S.No.		Remarks
1	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **4.9148**hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and District Level Committee are enclosed as annexure 23 to 23.2 .	Not applicable as there are no habitat's belonging to Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers.
2	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas given their consent to it.	Not applicable as there are no habitat's belonging to Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers. There is no objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is affixed in the forest file.
3	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.	Not applicable as there are no habitat's belonging to Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers.

Encl.- As above.

Signature

(Bhupal Singh Manral,)
(District Collector)

प्रारूप - 30.1

जिला स्तरीय वन अधिकार समिति जनपद बागेश्वर

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत् प्रस्ताव

1–	जिलाधिकारी, बागेश्वर	अध्यक्ष
2–	प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर	सदस्य
3–	श्री भगवत डसीला, जिला पंचायत सदस्य	सदस्य
4–	श्री मनोज कुमार, जिला पंचायत सदस्य	सदस्य / सचिव
5–	जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य / सचिव

आज दिनांक 5-12-14 को जिलास्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक जिलाधिकारी महोदय, बागेश्वर की अध्यक्षता में आहूत की गयी ।

उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति कपकोट के प्रमाण पत्र दिनांक 13-11-2014 द्वारा तोली मो0मा0 के कि0मी0 2 से बघर मो0मा0 के लिए 4.9148 है0 भूमि आवंटन हेतु अनापत्ति प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया । उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा तोली मो0मा0 के कि0मी0 2 से बघर मो0मा0 हेतु वनभूमि परिवर्तित किये जाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ ।

जिलास्तरीय वनाधिकार समिति जनपद बागेश्वर द्वारा उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति कपकोट के उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया वनभूमि के स्वरूप को परिवर्तन कर तोली मो0मा0 के कि0मी0 2 से बघर मो0मा0 हेतु 4.9148 है0 भूमि उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है तथा तोली मो0मा0 के कि0मी0 2 से बघर मो0मा0 मो0मा0 के निर्माण हेतु 4.9148 है0 भूमि को ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने हेतु अनापत्ति दी गई। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत् व संलग्न प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहीत नहीं हो रही है । परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है ।

5/12/14		
जिला समाज कल्याण अधिकारी	प्रभागीय वनाधिकारी	जिलाधिकारी
बागेश्वर	बागेश्वर	बागेश्वर
जिला समाज कल्याण अधिकारी बागेश्वर	प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर.	जिला अधिकारी बागेश्वर.

प्रारूप - 30.2

<u>परियोजना का नाम</u> :– जनपद बागेश्वर में प्रधानमत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत तोली मोटर मार्ग के कि0 मी0 2 से बघर मोटर मार्ग , (लम्बाई 9.934 कि0मी0) में प्रभावित होने वाली वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, कपकोट
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति कपकोट

उपखण्ड स्तरीय समिति, कपकोट परिक्षेत्र के अन्तर्गत तोली मोटर मार्ग के कि0 मी0 2 से बघर मोटर मार्ग (**शून्य** हे0 आरक्षित वन भूमि, 3.9504 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.9644 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 4.9148 हे0 वन भूमि) का **प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग)** प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील कपकोट) की दिनांक 13....../11/2014 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री के0 एस0 टोलिया, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1–	श्री के0 एस0 टोलिया	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष
2–	श्री एस0एन0 त्रिपाठी	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
3–	श्री कालू राम वर्मा	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य/सचिव
4–	श्री शेर सिंह	बी0डी0सी0 क्षेत्र–बघर	सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत तोली मोटर मार्ग के कि0 मी0 2 से बघर मोटर मार्ग परियोजना हेतु... 4.9148 हे0 वन भूमि प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग) प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड कपकोट परिक्षेत्र के तोली मोटर मार्ग के किमी0 2 से बघर मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 4.9148 हे0 वन भूमि प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग) प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील :–कपकोट
जनपद :–बागेश्वर

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, बागेश्वर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील :–कपकोट
जनपद :–बागेश्वर

श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय कपकोट

महोदय, [illegible] ग्राम बघर [illegible] तह कपकोट जिला बागेश्वर के ग्राम बघर में मोटर मार्ग निर्माण होना है भूमि वन विभाग के अन्तर्गत 4.9148 है भूमि आती है उक्त भूमि पर आदिवासी या गैर आदिवासी का कब्जा नहीं है अतः रिपोर्ट सेवा में प्रेषित

12/11/14

तहसीलदार
बागेश्वर
12-11-14

<u>परियोजना का नाम</u> :— जनपद बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत तोली मोटर मार्ग के कि0 मी0 2 से बघर मोटर मार्ग , (लम्बाई 9.934 कि0मी0) में प्रभावित होने वाली वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

दिनांक 13/11/2014 उपखण्ड स्तरीय समिति की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

जनपद—बागेश्वर।

1.	श्री के0 एस0 टोलिया	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष	Sub Divisional Magistr
2.	श्री एस0एन0 त्रिपाठी	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य	
3.	श्री कालू राम वर्मा	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य/सचिव	
4.	श्री शेर सिंह	बी0डी0सी0 क्षेत्र– बघर	सदस्य	

उप प्रभागीय वनाधिकारी

सहायक समाज कल्याण अधिकारी बागेश्वर
विकास खण्ड कपकोट
जनपद बागेश्वर

शेर सिंह बिष्ट
क्षेत्र पंचायत सदस्य
बघर(कपकोट)बागेश्वर

प्रारूप - 30.3

परियोजना का नाम :– जनपद बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत तोली मोटर मार्ग के कि0 मी0 2 से बघर मोटर मार्ग , (लम्बाई 9.934 कि0मी0) में प्रभावित होने वाली वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम :– **बघर** तहसील :– ***कपकोट*** जिला :– ***बागेश्वर***

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद ***बागेश्वर*** के अन्तर्गत **तोली मोटर मार्ग के कि0 मी0 2 से बघर मोटर मार्ग** परियोजना के निर्माण हेतु (**शून्य** है0 आरक्षित वन भूमि, **3.9504** है0 सिविल सोयम भूमि, **0.9644** है0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल **4.9148** है0 वन भूमि का **प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग)** विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत **बघर** द्वारा दिनांक ..10..../11/2014 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह की वन अधिकार अधिनियम 2006 की प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं है। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम **बघर** के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि 4.9148 है0 प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/–
ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र
वि0 ख0
जनपद-बागेश्वर

ह0/– गुलाब राम
ग्राम प्रधान

ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत बघर
वि0ख0-कपकोट जिला-बागेश्वर